16

मध्यप्रदेश शासन

पुरातत्व विभाग

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल, 1974

क्रमांक 469/10/पुरा./73- राज्य शासन जिला पुरातत्वीय संघों के निर्माण एवं कार्य विधि के लिये नीचे दिये गये अनुसार नियम बनाता है :-

जिला पुरातत्वीय संघों के निर्माण एवं कार्य विधि सम्बन्धी नियम

(1) नाम :-

इन संघों को जिला पुरातत्वीय संघ कहा जायेगा।

(2) उद्देश्य एवं कार्य.

अ :- मध्यप्रदेश राज्य के प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों एवं अवशेषों की सुरक्षा तथा उन्हें विनाश तथा चोरियों से रोकने में शासन को सहयोग देना।

ब :- भारतीय इतिहास, संस्कृति, कला एवं प्राचीन मुद्राओं आदि के अध्ययन में प्रोत्साहन एवं खोज में शासन को सहयोग करना एवं संग्रहालयों के विकास हेतु प्रयास करना।

(3) अध्यक्ष :-

जिलाध्यक्ष सम्बंधित जिला पुरातत्वीय संघों के अध्यक्ष होंगे।

(4) सदस्य :-

राज्य एवं केंद्रीय पुरातत्वीय विभाग के जिले में नियुक्त अधिकारी, जिला प्रकाशन अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, इतिहास व पुरातत्वी विषय के प्राध्यापक या व्याख्याता, स्थानीय विधायक एवं अन्य प्रतिनिधि जो पुरातत्व विषय में रुचि रखते हों, और जिन्हें जिलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जावे, सदस्य होंगे।

(5) कार्यालयीन अध्यक्ष :

सम्बंधित जिलाध्यक्ष

पदाधिकारी सचिव :-

अन्य राजपत्रित अधिकारी जो जिलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जावेगा।

(6) कार्यकाल :-

तीन वर्ष (जनवरी से दिसम्बर तक)

(7) कार्यालयीन अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियाँ एवं अधिकार :-

सम्बंधित जिलाध्यक्ष जिला पुरातत्वीय संघ के सभी कार्यों के लिये अध्यक्ष होने के नाते सभी अधिकार उनमें निहित

रहेंगे एवं उनके द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग अन्य अधिकारी कर सकेंगे। जिला पुरातत्वीय संघों के सभी कार्यकलापों का सम्पादन सचिव, अध्यक्ष के निर्देशानुसार करेंगे।

(8) वित्तीय व्यवस्था :-

क. शासन द्वारा दिये अनुदान या,

ख. किसी संस्था एवं व्यक्ति से प्राप्त अनुदान एवं वस्तु।

उक्तकरण 8 (क) (ख) में वर्णित अनुदान एवं दान प्राप्त करने के लिये जिला पुरातत्वीय संघ के द्वारा प्रस्ताव पारित कर संचालनालय पुरातत्व एवं संग्रहालय के माध्यम से शासन के आदेश लेना आवश्यक है। इस प्रकार के दान, दाताओं द्वारा बिना किसी शर्त के दिये जावेंगे। जिला पुरातत्वीय संघ एकत्रित कलाकृतियों अथवा वस्तुओं को देने अथवा स्थानान्तर करने के लिये सक्षम न होगा अपितु उसके लिये पूर्व शासन स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिला पुरातत्वीय संघ द्वारा एकत्रित अथवा दान में प्राप्त वस्तुओं पर शासन का पूर्ण अधिकार होगा। संग्रहीत कलाकृतियों का विवरण जिला पुरातत्वीय संघों द्वारा समय-समय पर पुरातत्व विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा।

(9) व्यय :-

शासन से प्राप्त अनुदान या अन्य संस्था अथवा व्यक्ति विशेष से प्राप्त दान की राशि का व्यय निम्न कार्यों पर किया जावेगा।

(अ) जिला संग्रहालय के विकास के लिये

(ब) संबंधित जिले में यत्र-तत्र बिखरी हुई पुरातत्वीय संपत्ति कलाकृतियों या वस्तुओं को मूल स्थान अथवा जिलाध्यक्ष कार्यालय में एकत्रित करने के लिये।

(स) जिला पुरातत्वीय संघ पदाधिकारियों द्वारा अनुमोदित यात्राओं पर

(द) जिले के पुरातत्वीय विषयों पर विविध लेख एवं प्रकाशन तथा शैक्षणिक कार्यकलापों के लिये इसके अतिरिक्त जिला पुरातत्वीय संघ, संचालनालय, पुरातत्व एवं संग्रहालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।

(च) अन्य विविध व्यय।

(10) ये नियम दिनांक 1.1.74 से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(एस.एन. साकल्ले)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, पुरातत्व विभाग